न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 80/2022 GCMS 2022/157

वादी

1. मोतीराम पुत्र शिवबक्ष जाति कुम्हार निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. टोडूराम पुत्र शिवबक्ष
2. भंवरलाल उर्फ भूराराम पुत्र शिवबक्ष
3. रामेश्वर पुत्र शिवबक्ष
4. हणमान पुत्र शिवबक्ष
5. दाखा देवी पुत्री शिवबक्ष
6. बरजी देवी पुत्री शिवबक्ष जाति कुम्हार निवासीगण कड़वा का बांसड़ा कुचामनसिटी
7. कानी देवी पत्नी भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी कुचामनसिटी
8. भूमिधारी (तहसीलदार) कुचामनसिटी

दावा– बाबत इस्तकरार हक व भू–विभाजन एवंम रेकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act1955

उपस्थित :–श्री श्यामलाल कुमावत अधिवक्ता वादी की ओर से।

श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 5 की ओर से।

श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 6 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 12-07-2022

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि कुचामनसिटी जिला नगौर की सरहद में खेत खसरा नम्बर 429 रकबा 0.10 हैक्टर किस्म गै.मु.ढ़ाणी, खसरा नम्बर 430 रकबा 0.0100 गै.मु.कुआ कुल रकबा 0.11 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 431 रकबा 3.23 हैक्टर किस्म चाही प्रथम कृषि भूमि स्थित है, उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 429, 430 की सम्पूर्ण भूमि वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 4 व खसरा नम्बर 431 की सम्पूर्ण कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 4 व 7 की संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, उपरोक्त खसरा नम्बर 429, 430, 431 की सम्पूर्ण भूमि पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 6 के पिता के नाम से थी जिनके देहान्त के उपरान्त विरासत द्वारा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 को प्राप्त हुई है, वादी एव प्रतिवादी 1 ता 6 आपस में भाई बहिन है एवं शिवबक्ष के विधिक वारिसान है, दुलाराम पुत्र शिवबक्ष का 1/6 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, दुलाराम पुत्र शिवबक्ष वाद व प्रतिवादीगण 1ता6 का सगा भाई था, दुलाराम की दिनॉक 04.07.1999 को अविवाहित अवस्था में ही मृत्यु हो गई, उपरोक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी 1 ता6 की संयुक्त सम्पति रही है, जो आज दिन तक अविभाजित है एवं दुलाराम के अविवाहित व ना औलाद फौत हो जाने पर उनके नजदीकी विधिक वारिसान हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की श्रेणी में उसके माता–पिता व भाई बहिन आते है, माता–पिता की भी मृत्यु हो चुकी है, उसके पश्चात स्व. दुलाराम की मात्र केवल नजदीकी वारिसान उसके भाई बहिन ही है जो

उपखण्ड अधिकारी

वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 6 है, इनके अलावा कोई अन्य वारिसान नही हैं। वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 4 के पक्ष में प्रतिवादी सं. 5 व 6 ने काफी वर्षो पूर्व सम्पूर्ण भूमि का हक त्याग कर दिया था जिसके पश्चात उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 व स्व. दुलाराम के नाम 1/6 प्रत्येक का हिस्सा स्थित है,जो खातेदारी रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा है, वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने आपसी सहमति से उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि आपस में बांटकर अपने-अपने हक हिस्से पर काश्त कर रहे है व अपने-अपने मकानात व जानवरों के बाड़े बना रखे है, वादी द्वारा नजरी नक्शा में मार्क ए से ओ तक दर्शाया गया है :-

मार्क	रकबा	खातेदार	ख.न.
A	0.7115 है.	प्रति. सं. 3 रामेश्वरलाल	431
B	0.5323 है.	प्रति. सं. 4 हणमान	431
C	0.7230 है.	प्रति. सं. 2 भंवरलाल उर्फ भूराराम	431
D	0.7292 है.	वादी मोतीराम	431
E	0.3236 है.	प्रति. सं. 1 टोडूराम	431
F	0.0440 है.	वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4	431 व 429
G	0.1618 है.	प्रति. सं. 7 कानी देवी	431
O	0.0353 है.	प्रति. सं. 4 व वादी	431

खसरा नम्बर 429 व 430 की सम्पूर्ण भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की संयुक्त हिस्सेदारी है व इसी अनुसार सेपरेट होल्डिंग करवाना चाहते है, बिनाय दावा पटवारी हल्का कुचामनसिटी को फौतगी नामान्तरकरण व अपने-अपने कब्जा काश्त के आधार पर भू-विभाजन करवाने के लिए कहा तो सक्षम न्यायालय में वाद द्वारा हक हिस्सा निर्धारण करवाने के लिए कहा, इसलिए वाद लाना लाजमी हुआ है, प्रतिवादी 1 ता 4, 7 सहखातेदार होने से व प्रतिवादी सं. 5 व 6 स्व. दुलाराम की सगी बहने व वारिसान होने के कारण आवश्यक पक्षकार बकनाया गया है तथा प्रति. सं. 8 भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है, वादी की इस्तदुआ है कि स्व. दुलाराम की फौतगी के उपरान्त कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 429, 430, 431 की भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम रेकार्ड दुरूस्त करवाया जावें व वाद पत्र में अंकित कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 431 में संलग्न नजरी नक्शे अनुसार रकबा 0.7292 हैक्टर वादी, 0.3236 हैक्टर प्रतिवादी सं. 1, रकबा 0.7230 हैक्टर प्रति. सं. 2, रकबा 0.7115 हैक्टर प्रतिवादी सं. 3, रकबा 0.5322 हैक्टर प्रतिवादी सं. 4, रकबा 0.1618 हैक्टर प्रतिवादी सं. 7, रकबा 0.0440 हैक्टर वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 4, रकबा 0.0353 हैक्टर वादी व प्रतिवादी सं. 04 के नाम मार्क अनुसार भू-विभाजन कर सेपरेट लैण्ड होल्डिंग किया जावे, इसी माफिक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं 1 से 6 ने दिनॉक 16.06.2022 को इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया, प्रतिवादी सं. 7 ने वकालतनामा प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा, तत्पश्चात दिनॉक 04.07.2022 को प्रतिवादी सं. 1 ता 7 ने उपस्थित होकर लिखित में राजीनामा मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया, राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 8 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी की ओर से चालू जमाबंदी नकल सम्वत 2074–2077 एवं नक्शा ट्रेस की प्रति एवं नजरी नक्शा में वादी एवं प्रतिवादीगण का हक हिस्सा दर्शाते हुए वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किया। पक्षकारान द्वारा निम्नवत राजीनामा प्रस्तुत किया :–

क्र. सं.	पक्षकार का नाम	ग्राम कुचामनसिटी खसरा संख्या	रकबा	हक–हिस्सा	भूखण्ड संख्या
1	वादी मोतीराम	खसरा नं. 430 खसरा नं. 429 खसरा नं. 431 खसरा नं. 431 खसरा नं. 431	0.01 हैक्टर 0.10 हैक्टर 3.23 हैक्टर 3.23 हैक्टर 3.23 हैक्टर	0.0025 हैक्टर 0.0162 हैक्टर 0.6837 हैक्टर 0.0158 हैक्टर 0.01255 हैक्टर	02 18 03 04
2	प्रति. सं. 1 टोडूराम	खसरा नं. 431	3.23 हैक्टर	0.3237 हैक्टर	05
3	प्रतिवादी सं. 2 भंवरलाल उर्फ भूराराम	खसरा नं. 430 खसरा नं. 429 खसरा नं. 431	0.01 हैक्टर 0.10 हैक्टर 3.23 हैक्टर	0.0025 हैक्टर 0.0197 हैक्टर 0.7160 हैक्टर	07 06
4	प्रतिवादी सं. 3 रामेश्वर	खसरा नं. 430 खसरा नं. 429 खसरा नं. 431 खसरा नं. 431	0.01 हैक्टर 0.10 हैक्टर 3.23 हैक्टर 3.23 हैक्टर	0.0025 हैक्टर 0.0164 हैक्टर 0.7045 हैक्टर 0.0148 हैक्टर	16 08 09
5	प्रतिवादी सं. 04 हणमान	खसरा नं. 430 खसरा नं. 429 खसरा नं. 431 खसरा नं. 431 खसरा नं. 431	0.01 हैक्टर 0.10 हैक्टर 3.23 हैक्टर 3.23 हैक्टर 3.23 हैक्टर	0.0025 हैक्टर 0.0310 हैक्टर 0.4015 हैक्टर 0.1423 हैक्टर 0.01255 हैक्टर	11 10 12 04
6	प्रतिवादी सं. 7 कानी देवी	खसरा नं. 431	3.23 हैक्टर	0.1618 हैक्टर	15
7	वादी एवं प्रति. सं. 1 ता 4	खसरा नं. 429 खसरा नं. 431 खसरा नं. 431	0.10 हैक्टर 3.23 हैक्टर 3.23 हैक्टर	0.0167 हैक्टर 0.0273 हैक्टर 0.0135 हैक्टर	14 13 17

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं राजीनामा का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजीनामा एवं नजरी नक्शा अनुसार ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 429, 430, 431 का पक्षकारान वादी एवं प्रतिवादी 1 से 4 एवं 7 ने बंटवारा कर लिया है, राजीनामा एवं वाद में कथन किया है कि खातेदार दुलाराम

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी

पुत्र शिवबक्ष वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 6 का भाई रहा है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है जो अविवाहित था, तथा दुलाराम के माता पिता की भी मृत्यु हो चुकी है, दुलाराम के हक हिस्से की भूमि में उसके भाई बहन ही उत्तराधिकारी है तथा उसके हक हिस्से को शामिल करते हुए प्रस्तुत राजीनामा में अंकित टेबल एवं नजीर नक्शा अनुसार बंटवारा किया है तथा इसी मुताबिक वाद डिक्री किया जाने का कथन राजीनामा में अंकित है साथ ही प्रतिवादी भुराराम का नाम राजस्व रेकार्ड में त्रुटिवश भंवरलाल दर्ज है जबकि वास्तविक नाम भूराराम है जिसे दुरूस्त कर भूराराम पुत्र शिवबक्ष किया जावे। उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि वाद वादी मुताबिक राजीनामा काबिल डिक्री योग्य पाये जाने से डिक्री किया जाता है।

आदेश

वाद वादी मुताबिक राजीनामा निम्नवत टेबिल अनुसार डिक्री किया जाता है :–

क्र. सं.	पक्षकार का नाम	ग्राम कुचामनसिटी खसरा संख्या	रकबा	हक–हिस्सा	भूखण्ड संख्या
1	वादी मोतीराम	खसरा नं. 430	0.01 हैक्टर	0.0025 हैक्टर	
		खसरा नं. 429	0.10 हैक्टर	0.0162 हैक्टर	02
		खसरा नं. 431	3.23 हैक्टर	0.6837 हैक्टर	18
		खसरा नं. 431	3.23 हैक्टर	0.0158 हैक्टर	03
		खसरा नं. 431	3.23 हैक्टर	0.01255 हैक्टर	04
2	प्रति. सं. 1 टोडूराम	खसरा नं. 431	3.23 हैक्टर	0.3237 हैक्टर	05
3	प्रतिवादी सं. 2 भंवरलाल उर्फ भूराराम	खसरा नं. 430	0.01 हैक्टर	0.0025 हैक्टर	
		खसरा नं. 429	0.10 हैक्टर	0.0197 हैक्टर	07
		खसरा नं. 431	3.23 हैक्टर	0.7160 हैक्टर	06
4	प्रतिवादी सं. 3 रामेश्वर	खसरा नं. 430	0.01 हैक्टर	0.0025 हैक्टर	
		खसरा नं. 429	0.10 हैक्टर	0.0164 हैक्टर	16
		खसरा नं. 431	3.23 हैक्टर	0.7045 हैक्टर	08
		खसरा नं. 431	3.23 हैक्टर	0.0148 हैक्टर	09
5	प्रतिवादी सं. 04 हणमान	खसरा नं. 430	0.01 हैक्टर	0.0025 हैक्टर	
		खसरा नं. 429	0.10 हैक्टर	0.0310 हैक्टर	11
		खसरा नं. 431	3.23 हैक्टर	0.4015 हैक्टर	10
		खसरा नं. 431	3.23 हैक्टर	0.1423 हैक्टर	12
		खसरा नं. 431	3.23 हैक्टर	0.01255 हैक्टर	04
6	प्रतिवादी सं. 7 कानी देवी	खसरा नं. 431	3.23 हैक्टर	0.1618 हैक्टर	15
7	वादी एवं प्रति. सं. 1 ता 4	खसरा नं. 429	0.10 हैक्टर	0.0167 हैक्टर	14
		खसरा नं. 431	3.23 हैक्टर	0.0273 हैक्टर	13
		खसरा नं. 431	3.23 हैक्टर	0.0135 हैक्टर	17

पक्षकारान वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 7 को उपरोक्त टेबिल में अंकित हक हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, राजीनामा एवं नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा तथा प्रतिवादी/खातेदार भंवरलाल पुत्र शिवबक्ष का राजस्व रेकार्ड में भूराराम

उपखण्ड अधिकारी

पुत्र शिवबक्ष नाम शुद्व किया जावे, उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो, बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत करने पर शामिल मिसल की जावे।

निर्णय आज दिनॉक 12/07/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : **बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या 80 / 2022 **GCMS 2022/157**

वादी

1. मोतीराम पुत्र शिवबक्ष जाति कुम्हार निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. टोडूराम पुत्र शिवबक्ष
2. भंवरलाल उर्फ भूराराम पुत्र शिवबक्ष
3. रामेश्वर पुत्र शिवबक्ष
4. हणमान पुत्र शिवबक्ष
5. दाखा देवी पुत्री शिवबक्ष
6. बरजी देवी पुत्री शिवबक्ष जाति कुम्हार निवासीगण कड़वा का बांसड़ा कुचामनसिटी
7. कानी देवी पत्नी भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी कुचामनसिटी
8. भूमिधारी (तहसीलदार) कुचामनसिटी

दावा– बाबत इस्तकरार हक व भू–विभाजन एवंम रेकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री अशोकपुरी अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री मेवाराम चौधरी प्रतिवादी अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **वाद वादी मुताबिक राजीनामा निम्नवत टेबिल अनुसार डिक्री किया जाता है :–**

क्र. सं.	पक्षकार का नाम	ग्राम कुचामनसिटी खसरा संख्या	रकबा	हक–हिस्सा	भूखण्ड संख्या
1	वादी मोतीराम	खसरा नं. 430 खसरा नं. 429 खसरा नं. 431 खसरा नं. 431 खसरा नं. 431	0.01 हैक्टर 0.10 हैक्टर 3.23 हैक्टर 3.23 हैक्टर 3.23 हैक्टर	0.0025 हैक्टर 0.0162 हैक्टर 0.6837 हैक्टर 0.0158 हैक्टर 0.01255 हैक्टर	02 18 03 04
2	प्रति. सं. 1 टोडूराम	खसरा नं. 431	3.23 हैक्टर	0.3237 हैक्टर	05
3	प्रतिवादी सं. 2 भंवरलाल उर्फ भूराराम	खसरा नं. 430 खसरा नं. 429 खसरा नं. 431	0.01 हैक्टर 0.10 हैक्टर 3.23 हैक्टर	0.0025 हैक्टर 0.0197 हैक्टर 0.7160 हैक्टर	07 06
4	प्रतिवादी सं. 3 रामेश्वर	खसरा नं. 430 खसरा नं. 429 खसरा नं. 431 खसरा नं. 431	0.01 हैक्टर 0.10 हैक्टर 3.23 हैक्टर 3.23 हैक्टर	0.0025 हैक्टर 0.0164 हैक्टर 0.7045 हैक्टर 0.0148 हैक्टर	16 08 09
5	प्रतिवादी सं. 04 हणमान	खसरा नं. 430 खसरा नं. 429 खसरा नं. 431 खसरा नं. 431 खसरा नं. 431	0.01 हैक्टर 0.10 हैक्टर 3.23 हैक्टर 3.23 हैक्टर 3.23 हैक्टर	0.0025 हैक्टर 0.0310 हैक्टर 0.4015 हैक्टर 0.1423 हैक्टर 0.01255 हैक्टर	11 10 12 04
6	प्रतिवादी सं. 7 कानी देवी	खसरा नं. 431	3.23 हैक्टर	0.1618 हैक्टर	15

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

7	वादी एवं प्रति. सं. 1 ता 4	खसरा नं. 429 खसरा नं. 431 खसरा नं. 431	0.10 हैक्टर 3.23 हैक्टर 3.23 हैक्टर	0.0167 हैक्टर 0.0273 हैक्टर 0.0135 हैक्टर	14 13 17

पक्षकारान वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 7 को उपरोक्त टेबिल में अंकित हक हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, राजीनामा एवं नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा तथा प्रतिवादी/खातेदार भंवरलाल पुत्र शिवबक्ष का राजस्व रेकार्ड में भूराराम पुत्र शिवबक्ष नाम शुद्व किया जावे, उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो, बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत करने पर शामिल मिसल की जावे।

निज .... मुबलिग .... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 12 माह 07 सन् 2022 को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा कुचामन सिटी (नागौर) (मुहर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

वाद क्र. 80/2022 - मोतीराम / मेहुराम

KH.NO.429-430-431
AREA:-3.34 HEC.

AT- KUCHAMAN CITY

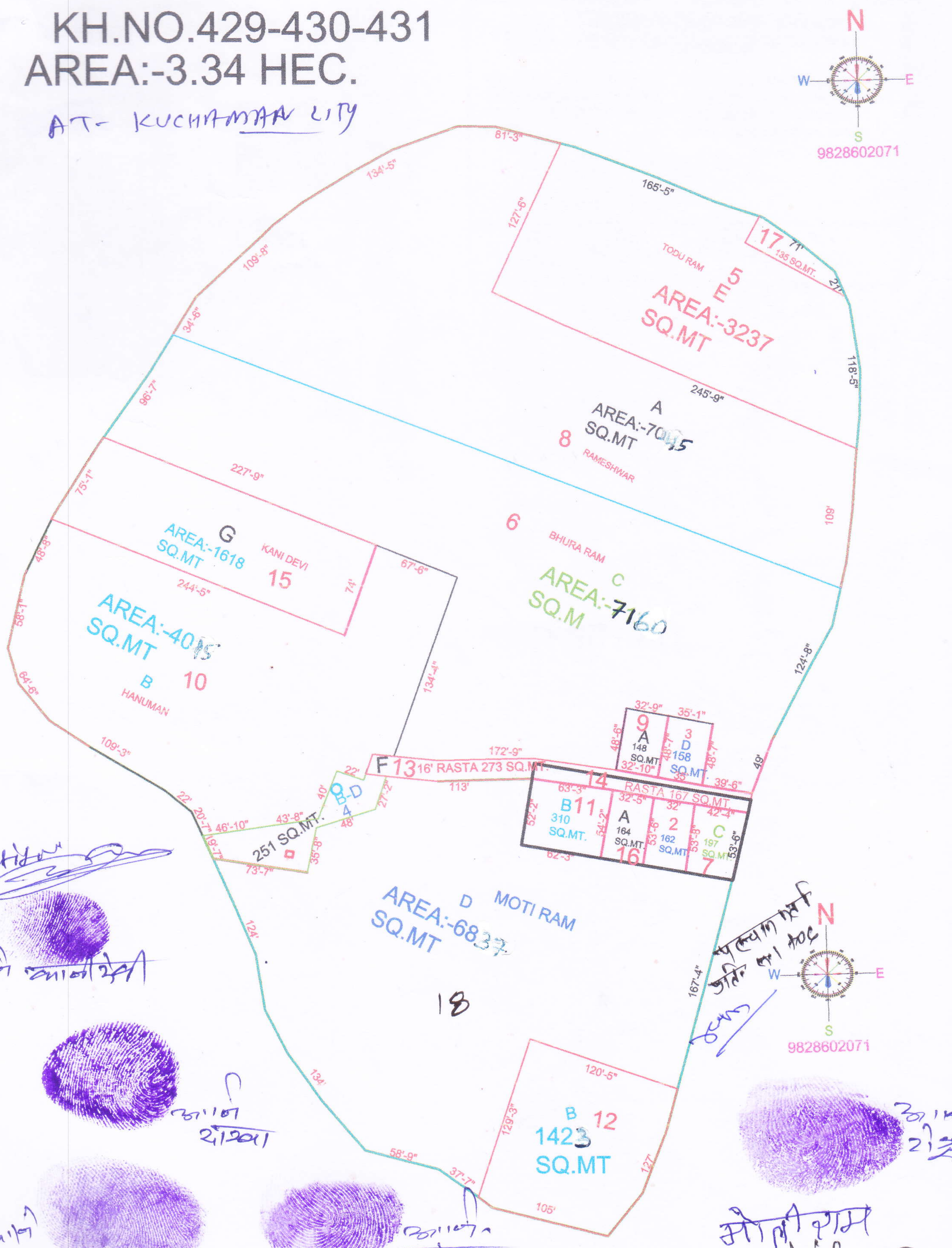

अंगूठा निशानी